उत्तराखण्ड सरकार
वित्त अनुभाग–9
संख्या– 74/XXVII(9)/स्टाम्प/2008
देहरादूनः दिनांक 25 अप्रैल, 2008
अधिसूचना

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2 वर्ष 1899) (समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 9 की उप–धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल, इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से सभी स्थावर सम्पत्तियों के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क एक प्रतिशत कम किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री राज्यपाल, सर्किल दर से अधिक दर पर अन्तरण किए जाने की दशा में, ऐसे अन्तरण में सर्किल रेट से अधिक की धनराशि पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पचास प्रतिशत की छूट भी प्रदान करते है।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 74(1)/XXVII(9)/स्टाम्प/2008 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. समस्त जिला निबन्धक, उत्तराखण्ड।
5. उप–निदेशक, राजकीय प्रेस रूड़की को इस अनुरोध सहित कि वे हिन्दी/अंग्रेजी अधिसूचना को उसी दिनांक के आसाधारण गजट के भाग 4 खण्ड (ब) में प्रकाशित कराते हुये उसकी 200–200 प्रतियॉ शासन के वित्त अनुभाग–9 को अविलम्ब उपलब्ध करा दें।
6. न्याय/विधायी अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एल0एम0 पन्त)